न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती मोहनी देवी पत्नी भगवतीलाल जी, जाति खटीक, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश
उपखण्ड अधिकारी गिर्वा पत्रावली क्रमांक
राजस्व बी / 2017 / 721–22 / 02.03.2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 26–07–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी गिर्वा ने अपने आदेश क्रमांक 721–22 दिनांक 02–03–2017 से मोहनी देवी पत्नी भगवतीलाल खटीक के पक्ष में ग्राम सागरोदा की आराजी नंबर 1451 रकबा 0.0300 हैक्टर का आवंटन क्रमांक 2776–80 दिनांक 24–07–2003 निरस्त कर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट मोहनी देवी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस में बताया कि अपीलान्ट को आवंटन राजस्थान भू–राजस्व नलकूप स्थापित नियम, 1968 के तहत किया जाकर दिनांक 23–07–2017 को 10 वर्ष हो जाने से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम, 1979 का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को ऐसे आवंटन निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अधिवक्ता राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट/आवंटी द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग सार्वजनिक नहीं कर निजी उपयोग में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम दर्ज करने का जो आदेश दिया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सरपंच ग्राम पंचायत, सारकोदा ने दिनांक 05–08–2015 को उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत, साकरोदा के पूर्व सरपंच भगवतीलाल के कार्यकाल सन् 2000 में श्मशान के स्नान घन बनाने हेतु तालाब की पाल से पहले मेन रोड़ पर जमीन मोहनीदेवी को लीज पर दी गयी, जिसे उसके द्वारा सार्वजनिक उपयोग नहीं कर निजी हित में उपयोग में ले रहे हैं। जिससे उक्त दुकान की लीज खत्म कर सार्वजनिक उपयोग हेतु दुकान हटाने की कार्यवाही की जावे।

सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा ने दिनांक 20–11–2015 को तहसीलदार, गिर्वा को पत्र पट्टा निरस्ती बाबत् मौका रिपोर्ट के आधार पर जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा, जिस पर तहसीलदार, गिर्वा ने मय नजरी नक्शा दिनांक 28–11–2015 को रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि आवंटित भूमि पर 10 बाई 23.5 फिट के कमरे में ट्यूबवेल लगा होकर इसी के उपर पक्की पानी की टंकी अनुमानित 50000 लीटर की बनी हुई है जिससे आवंटी कृषि भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested

पिलाई करता है। इसी कमरे से सटी हुई भूमि पर 38 बाई 23.5 फिट पर पक्का निर्माण कार्य किया हुआ है, जिसमें 28 बाई 23.5 फिट में हालनुमा दो शटर लगे होकर भारत गैस का आउटलेट संचालित है एवं एक कमरा 10 बाई 23.5 फिट का पक्का बना हुआ है।

उक्त रिपोर्ट अस्पष्ट होने से उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा अपने पत्र दिनांक 04–01–2015 से पुनः तहसीलदार, गिर्वा को तीन बिन्दुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा, जिस पर तहसीलदार, गिर्वा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01–02–2016 से तीनों बिन्दुओं पर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष निम्नात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की :–

1. मोहनी देवी को आराजी नंबर 5072/1451 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा जारी की गयी थी।
2. भारत गैस का आउटलेट लीज से आवंटित शुदा भूमि आराजी नंबर 5072/1451 पर ही संचालित है। 30 फिट बाई 23.5 फिट भूमि पर पक्का निर्माण मौके पर आराजी नंबर 5072/1451 पर ही किया गया है।
3. उक्त पक्का निर्माण कार्य लीजधारी मोहनी देवी द्वारा स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, साकरोदा के निर्माण स्वीकृति आदेश दिनांक 20–12–2003 के तहत किया जाना मोहनी देवी द्वारा जाहिर किया गया।

तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर से अपने पत्र दिनांक 14–06–2016 से मार्गदर्शन चाहा, जिस पर जिला कलक्टर, उदयपुर ने विधिक राय लेकर अपने पत्र दिनांक 02–12–2016 से उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को निर्देशित किया कि राजस्थान भू–राजस्व (कुंआ खोदने एवं पम्प सेट स्थापना हेतु आवंटन) नियम 1979 के तहत भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त भूमि के आवंटन के प्रावधान के तहत नियम 7 में प्रावधान है कि आवंटित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग लिये जाने पर एवं आवंटन शर्तो के उलंघन पर सुनवाई का मौका देने के पश्चात आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि वापस ली जा सकती है। चूंकि आवंटन उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा किया गया है तो ऐसी स्थिति में आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, उदयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार उपखण्ड अधिकारी गिर्वा ने अपने पत्र दिनांक 09–12–2016 से आवंटी मोहनीदेवी को सूचना पत्र जारी कर लिखा कि तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपार्ट अनुसार ग्राम साकरोदा की आराजी नंबर 5072/1451 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि जो कुंआ खुदवाने एवं पम्प सेट लगाने हेतु लीज पर आपको आवंटित की गयी थी को आप द्वारा भारत गैस का आउटलेट लगाया जाकर निजी उपयोग किया जा रहा है। आप द्वारा लीज हेतु आवंटित भूमि का आप द्वारा सार्वजनिक उपयोग नहीं कर निजी कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। अतः क्यों न आपकी जारी लीज निरस्त कर दी जावे। उक्त संबंध में आप यदि कोई जवाब रखते हो तो 15 दिवस में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत करें।

अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट एवं आवंटी मोहनी देवी के जवाब का अवलोकन करने पर यह पाया कि आवंटी मोहनी देवी द्वारा कुंआ हेतु लीज पर आवंटित भूमि का सार्वजनिक उपयोग नहीं कर भारत गैस पेट्रोलियम के लिए एवं स्वयं की कृषि भूमि की पिलाई हेतु निजी उपयोग में लिया जा रहा है। हमारे द्वारा भी तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि आवंटन भूमि का उपयोग आवंटी द्वारा सार्वजनिक उपयोग में नहीं किया जाकर निजी हित में किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के आधार पर अपीलान्ट/आवंटी का आवंटन निरस्त कर विवादित भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने का जो आदेश दिया है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02–03–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
...त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested